

particular equipment was defective—inherently defective—or whether they feel that this pentaconta system—cross-bar system—is not suitable for the Indian conditions and therefore it has to be upgraded.

**SHRI K. BRAHMANANDA REDDY:** No, Sir. After commissioning it we found. I am not an expert to express an opinion on this as to whether this type of cross-bar system is good or bad inherently. I would submit that on the basis of our own experience and on complaints made to us, we have gone into the matter.

**MR. SPEAKER:** The question was very simple. He wants to know whether this particular piece of equipment is defective or the system as a whole is defective.

**SHRI K. BRAHMANANDA REDDY:** I cannot just now say whether the system itself is defective. But, in India, on the basis of the experience that we have gained, as there are defects, are trying to remove those defects.

**SHRI R. N. SHARMA:** I want to know from the hon. Minister whether such kinds of complaints are coming from all the pentaconta—cross-bar—exchanges or only from Delhi.

**SHRI K. BRAHMANANDA REDDY:** There are complaints from all cross-bar exchanges that this system is defective but, in Delhi, that is much more. It may also be remembered that maintenance is a very relevant factor.

**SHRI JAGANNATH RAO:** May I know whether it is a fact that the present unsatisfactory state of affairs is due to the reason that you are finding it difficult to connect strodder system with the cross-bar system?

**SHRI K. BRAHMANANDA REDDY:** I do not think so.

**PROF. MADHU DANDAVATE:** In reply to a supplementary by the hon. Member, Shri Mahajan, the hon. Minister said that whenever bills are prepared on the basis of the new cross-bar system and, if some complaints are there regarding over-billing, you do not go through the records of billing for many months but you take only the average for that particular period. If it is enormously high, in that case, you give some relief. Therefore, may I know from the Minister if there are complaints received that the billing for a particular period is fantastically higher as compared to the average bill for the respective months. But, the routine reply is that the bills have been checked and no relief can be given. If so, will you go into those cases so that relief is given to them also. I myself am experienced in this sort of thing.

**PROF. SHER SINGH:** If complaints are brought to our notice, we certainly go into them. And if there is fantastically high-billing, as the hon. Member has just now mentioned, we go into it and only the average money is charged. Even then we investigate into the matter.

**Raising the amount of Pension to  
Freedom Fighters**

†  
\*322 SHRI RAMAVATAR  
SHASTRI:

SWAMI BRAHMANANDJI:

Will the Minister of HOME  
AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to raise the amount of pensions granted to the freedom fighters from rupees two hundred per month in view of the high cost of living;

(b) whether Government have received a copy of a resolution passed

at the convention of South Zonal freedom fighters held at Madurai in January this year asking Government to raise the amount of pension to Rs. 500 per month; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN). (a) to (c). Government have received a copy of the Resolution referred to in part (b). Government do not consider general enhancement of the minimum pension to be feasible in the present circumstances. The existing scheme provides for a minimum pension of Rs 200/- p.m. but permits higher pension in special circumstances.

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 821 रह गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं। उस को इस के बाद ले लेंगे।

श्री रामाबतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस वर्तमान महंगाई के जमाने में पिछले तृतीय बैठक आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार अपने अपर डिवीजन क्लर्कों को 438 रुपये, लोअर डिवीजन क्लर्कों को 353.40 रुपये, जमादारों और दफतरियों को 272.50 रुपये और चपरासियों, सफाई मजदूरों और चौकीदारों को 268.90 रुपये दे रही हैं। यदि यह ठीक है, तो फिर स्वतन्त्रता सेनानियों और उन के परिवार के भरण-पोषण के लिए उन को मिलने वाली पेंशन की राशि में बुद्धि न करने का क्या औचित्य है और क्या इस तरीके से सरकार भेदभाव की नीति नहीं बरत रही है?

श्री ज्ञाना सुंदर दीक्षित : अध्यक्ष महोदय, मेरे मत से यह उचित नहीं है कि जो हमारे स्वतन्त्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश के लिए इतनी सेवा की और

त्याग किया, उनकी तुलना हम सरकारी चपरासियों या लिपिकों या दूसरों से करें। उन की सेवा का पूरा मुआबिका नहीं दिया जा रहा है। यह तो उन को एक प्रकार की सम्मान सूचक सहायता दी जा रही है।

इस के अलावा, श्रीमन्, उन में से अधिकतर ऐसे हैं, जिन की बोड़ी बहुत दूसरी इन्कम है। पांच हजार रुपये से कम जिनकी आय है, उन्हीं को कुछ सहायता दी जा रही है और जिन की उससे अधिक है, उनको यह सहायता नहीं दी जा रही है। यह जो इन्होंने तुलना की है, कम्पैरीजन किया है, यह मेरे मत में उचित नहीं है।

श्री रामाबतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैंने तुलना दूसरे दृष्टिकोण से की थी क्योंकि मैं भी अपने को स्वतन्त्रता सेनानी मानता हूँ और आज सब लोग बराबर हैं चाहे वह स्वतन्त्रता सेनानी हो या आम नागरिक। इसलिए तुलना का आप दूसरा अर्थ न लगायें। मैंने सिर्फ तुलना इसलिए की है कि जब आप उनको इस महंगाई के जमाने में इतना देते हैं, तो इन को भी क्यों नहीं देते हैं। और, आप ने जो जवाब दिया है, उस से हम संतुष्ट नहीं हैं।

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने यह भी बतलाया है कि कुछ लोगों को अधिक राशि देने की कोशिश की है; तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिन को आप ने 200 रुपये से अधिक राशि दी है और उन्हें अधिक राशि देने का क्या कारण है, क्या औचित्य है।

इसी प्रश्न के (ब) भाग के बारे में मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो स्वतन्त्रता सेनानी मर चुके हैं, जिन का देहान्त हो चुका है, उन की पत्नियों को क्योंकि उन के परिवार की संख्या अधिक है, आप केवल

सौ रुपया देते हैं ? अगर हां, तो फिर यह एक सौ और दो सौ का तफ़रका रखने का क्या आवेक है ?

**श्री उमाशंकर बीक्षित :** श्रीमन्, चार शर्तें हैं, जिन पर विचार किया जाता है अधिक देने के लिए । एक तो यह है कि कितने समय, कितनी अवधि तक वे सेनानी महाशय जेल में रहेया दूसरे प्रकार से उन को अधिक कष्ट हुआ या उन की आमदनी दूसरे साधनों से बहुत कम है या मध्य है या अधिक है । दूसरा यह है कि उन के ऊपर निर्भर कितने लोग हैं । उन की संख्या अगर ज्यादा है उन के परिवार में तो हम उस पर भी विचार करते हैं । अगर वे अकेले हैं या परिवार में बहुत कम आदमी हैं, तो उस का दूसरी तरह से विचार करते हैं । उन का स्वास्थ्य कैसा है और उन की उम्र कितनी है, इन सब बातों पर विचार करते हुए ही हम पेंशन देते हैं । इस तरह से करीब 200 से 250 रुपया दिया है, 14 को 300 रुपये तक दिया है 78 को, 301 से 350 रुपये तक दिया है 7 को, 351 से 400 रुपये तक दिया है, 3 को और 500 रुपये दिया है 3 को ।

**श्री रामावतार शास्त्री :** ऐसे दर्जनों और सैकड़ों लोग हैं उन को 17 साल, 15 साल और 13 साल की सजा हुई है । मैं उन को जानता हूँ और मैं उन के साथ जेल में रहा हूँ, लेकिन उन को आप नहीं देते हैं । ऐसा लगता है कि आप इस में पक्षपात की नीति बरत रहे हैं और जो लोग आप की हां में हां मिलते हैं, उन को देते हैं ।

**श्री उमाशंकर बीक्षित :** श्रीमन्, यह बात सत्य नहीं है । वे हम को बताएंगे तो हम विचार करेंगे ।

**श्री रामावतार शास्त्री :** बहुत दफा बताया है ।

**श्री उमाशंकर बीक्षित :** फिर बताइए ।

**श्री रामावतार शास्त्री :** अच्छा मैं आप को फिर लिखूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह कई दफा इस हाउस में आया है ।

**श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी :** एक तो पच्चीस सालों के अन्दर आधे आदमी मर चुके तब उन को कुछ दिया गया और जो दिया गया वह भी बहुत कम है । मरने के बाद स्त्री को 100 रुपया देना और दूसरे कामों में करोड़ों रुपये बरबाद करना, सेनानियों के लिए यह बहाना बनाना कि यह तो केवल अनुदान है, यह कहाँ तक उचित है ? आज जिन्होंने आजादी प्राप्त की उन के लिए रुपये की कमी है और जो लोग गुलामी करते रहे उन्होंने करोड़ों रुपये प्राप्त किये और गद्दी पर बैठे हुए हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि आज देश में रुपये की कमी है या सरकारी खजाने में कमी है ? आज देश में रुपये की कमी नहीं है, सरकार को अक्ल हीं है । आज अरबों रुपया चोरी का पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है । आज स्वतन्त्रता सेनानियों की सलाह कोई नहीं मानता । बड़े बड़े स्वतन्त्रता सेनानी पंडित सुन्दरलाल और राजा महेन्द्र प्रताप जैसे पड़े हुए हैं । अगर सरकार उन से राय ले तो देश के लिए अरबों रुपये मिल सकते हैं और उस को स्वतन्त्रता सेनानियों को दे सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने कुछ पूछा ही नहीं है । उन्होंने मंत्री महोदय की मशवरा दिया है । इस हाउस में कई दफे यह प्रश्न आया है और बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न पूछ चुके हैं । क्यों न इस को छोड़ कर के हम आगे चलें ?

**श्री डी० एन० तिवारी :** अभी इस बात का जवाब नहीं आया कि स्वतन्त्रता सेनानियों में से जिन का देहान्त हो जाता है उन की पत्नियों को या नाबालिग बच्चों को

100 रु० ही क्यों दिया जाता है। यह फर्क क्यों है? दूसरी बात यह है कि पिछले दो तीन महीने से स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन आदि मंजूर करने की गति बहुत धीमी हो गई है। इस का कारण क्या है? आजादी पाये हुए इतने दिन हो गये लेकिन हजारों लोग प्रदेशों में पड़े हुए हैं जिन के बारे में निर्णय नहीं हो रहा है।

**श्री उमाशंकर दीक्षित :** यह सिद्धान्त तो पहले ही निश्चित किया गया था कि जो स्वतन्त्रता सेनानी जीवित हैं उन को अमुक रकम दी जायेगी और उन की विधवा पत्नियों को कम दी जायेगी, लेकिन इस में 100 रु० से 200 रु० तक की सीमा लगाई गई है और इसी सिद्धान्त को ध्यान में रख कर मैंने पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर दिये हैं।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न किया उस के सम्बन्ध में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जहां तक हमारे यहां का प्रश्न है, जिन लोगों के जवाब पूरे थे या जिन मामलों में प्रमाण थे कि फलां सेनानी जिस ने हमारे यहां अर्जी दी है, हमारी कटेगरी में आता है, यानी जिस के पास छः महीने की सजा का प्रमाण था या अन्दर-आउंड रहने का प्रमाण था, उस को हम ने पेंशन दी है। जिन लोगों के मामलों को हम ने गलत समझा है या तो हम ने उन को फाइल कर दिया है या उन को अस्वीकृति की सूचना दे दी है। बाकी जो मामले हैं उन को हम ने प्रदेश सरकारों के पास भेजा है और कहा है कि वह हमारे पास प्रमाण भेजें। हम ने उन से कम्पेटियां बनाने को भी कहा है जो कि उन मामलों को देखें जिन के बारे में प्रमाण नहीं हैं। अगर उन को सन्तोष हो जाता है कि कोई आदमी पेंशन पाने योग्य है, तो हम उस को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस के पास न तो कोई प्रमाण है और न प्रदेश सरकार रिक्मंड कर रही है उन्हें हम कोई सहायता नहीं दे रहे हैं।

**श्री डी० एन० तिवारी :** बिहार से जो आवेदन-पत्र भेजे गये हैं वह वहां से रिक्मंड हुए हैं, लेकिन यहां से नामंजूर हो गये।

**श्री उमा शंकर दीक्षित :** उन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सब कुछ देख भाल कर भेजना चाहिए।

**श्री डी० एन० तिवारी :** उन्होंने छान बीन कर के भेजा है।

**SHRI SAMAR GUHA:** Is it a fact that the repeated appeals of the widow of Col. Mishra who sacrificed his life to save the life of Netaji when Netaji was encircled by the British Army in North Burma have been rejected? I am not in favour of increasing the pension except in exceptional cases till all the outstanding applications are cleared. I want to know the total number of applications still outstanding.

**SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT:** As for the first question, I am not aware of the circumstances under which in that particular case the decision has taken one way or the other. If he writes to me. I shall certainly check up and inform him of the correct position.

**SHRI SAMAR GUHA:** All right.

**SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT:** As for the disposal of applications, out of 1,98,093 applications received, 76,651 have been sanctioned, 28,615 have been rejected, 14,107 have been filed and 78,720 applications are still pending for clarification.

**डा० गोविन्द दास रिछारिया :** क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि बहुत से ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिन्हें छः महीने से अधिक की सजा हुई थी, लेकिन गांधी इविन पैक्ट हो जाने के कारण उन को बीच में

ही छोड़ दिया गया ? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि जिन लोगों को गांधी इन्डियन पैन्ट के कारण समय से पूर्व छोड़ दिया गया था वह इस सुविधा से वंचित न रह जायें और उन्हें भी पेंशन दी जाये ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : छः या सात प्रकार के स्वतन्त्रता सैनिकों का सवाल उठा है, जिन के बारे में हमारे पास अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं था। हमने ऐसे सब मामलों को कैबिनेट के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजा है। मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही जब स्पष्टीकरण हो जायेगा या सफाई हो जायेगी तब इस तरह के मामलों पर भी हम उचित कार्रवाई कर सकेंगे।

SHRI NURUL HUDA: Have the Government of India received information to the effect that in various parts of our country certain spurious agencies are at work forging signatures in the names of accredited freedom fighters, dead or living and recommending people for pension and the Government are granting pensions without holding proper inquiries? If so, will the Minister inform us as to what steps have been taken to stop such misuse of freedom fighters' pension along with details thereof?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Complaints alleging irregularities in the grant of pension to ineligible freedom fighters have been received. So far 310 such complaints have been received. There is a statement showing State-wise breakup of complaints. I can read it out.

All complaints are being inquired into. In 124 cases, pension has been suspended pending further inquiries through State Governments; 18 cases have been disposed of. Such complaints are examined on merits in consultation with State Governments or Union Territory administrations and suitable orders issued in each case.

The Statewise break-up is: number of cases in which complaints have been made are: Andhra Pradesh 12; Bihar 29; Chandigarh 1; Delhi 49; Goa 3; Gujarat 1; Haryana 10; Himachal Pradesh 2; Jammu and Kashmir 1; Karnataka 4; Kerala 7; Madhya Pradesh 7; Maharashtra 10; Orissa 25; Punjab 36; Rajasthan 4; Tamil Nadu 24; Uttar Pradesh 64 and West Bengal 21. Total 310.

MR SPEAKER: Shri Parmar. I am sorry I skipped over that question.

#### Saving of Foreign Exchange in allowing Product-Mix to Foreign Firms

\*821 SHRI BHALJIBHAI PARMAR: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 107 on the 27th February, 1974 regarding permission for product-mix to undertakings and state:

(a) the amount of foreign exchange saved during the Fourth Five Year Plan because of allowing product-mix to foreign firms with more than 26 per cent foreign equity; and

(b) whether different trademarks, bulk drug manufacturing formulations, product-mix letters and the decision of the Licensing Committee and saving of foreign exchange have no inter connection at all?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) and (b). It is not possible to compile the requisite information as